स्वास्थ्य विभाग

12. बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यों/न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों/राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों एवं उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति से करायी गई चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

13. वित्तीय वर्ष 2025–26 में 2,49,100 (दो लाख उनचास हजार एक सौ) मे०टन भण्डारण क्षमता के सृजन हेतु 200 (दो सौ) मे०टन, 500 (पाँच सौ) मे०टन एवं 1000 (एक हजार) मे०टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 50 (पचास) प्रतिशत अनुदान तथा 50 (पचास) प्रतिशत चक्रीय पूँजी के रूप में कुल रू० 1,80,19,77,688/–(एक अरब अस्सी करोड़ उन्नीस लाख सतहत्तर हजार छः सौ अठासी) मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति। — 13. स्वीकृत।

खेल विभाग

14. राज्य खेल अकादमी–सह–अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर (नालंदा) अंतर्गत असैनिक एवं विद्युतीकरण कार्य के निमित पुनरीक्षण के फलस्वरूप कुल राशि ₹11,21,41,20,515 (ग्यारह सौ इक्कीस करोड़ इकतालीस लाख बीस हजार पाँच सौ पन्द्रह रूपये) मात्र के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

15. मेसर्स मिजुकी पावर प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा, पूर्णियाँ को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के निमय–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. गोपालगंज जिलान्तर्गत अंचल–मांझा के मौजा–डोमाहाता, थाना सं०–89 एवं छवही खास, थाना सं०–92 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा–4.63 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि किस्म–परती कदीम (भूमि विवरणी परिशिष्ट–I) केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण एवं के०वी०एस० के स्टाफ क्वार्टर के निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।